न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 63/2024 तारीख रजू:– 21.11.2024

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

महिलाल पुत्र श्री मांगी जाति जाटव निवासी खोखलिया का पुरा हिण्डौन तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करैली राजस्थान —————————————— प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जी तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट
नाम में इन्द्राज दुरूस्ती करवाये जाने बाबत

उपस्थित :– 1. श्री मंजूर अली, श्री नरेशसिंह एडवोकेट प्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 10.11.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम बावत राजस्व रिकार्ड में नाम में इन्द्राज दुरूस्ती करवाये जाने बावत विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 मे दर्ज किया है कि खाता संख्या नया 1842 व पुराना 2212 में आराज़ी खसरा नम्बर 9279 रकबा 0.34 एयर, 9282 रकबा 0.49 एयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.83 हेक्टेयर वाके ग्राम हिण्डौन तहसील हिण्डौन में स्थित है। जिसमें वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से महिलाल के स्थान पर गलत नाम मिट्टी लाल दर्ज हो गया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 मे दर्ज किया है कि खाता संख्या नया 1832 व पुराना 2211 के अनुसार आराज़ी खसरा नम्बर 4545 रकवा 27 एयर, 4546 रकवा 25 एयर, 4547 रकवा 25 एयर, 9240 रकबा 30 एयर, 9241 रकबा 30 एयर, 9255 रकबा 70 एयर, 9256 रकवा 61 एयर, 9257 रकवा 72 एयर कुल किता 8 कुल रकबा 3.41 हेक्टेयर वाके ग्राम हिण्डौन तहसील हिण्डौन में है, जिसमें वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से महिलाल के स्थान पर गलत नाम मिट्टी लाल दर्ज कर दिया है, जो गलत है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 मे दर्ज किया है कि पटवारी हल्का द्वारा विरासत का नामान्तरण भरते समय राजस्व कर्मचारियों की गलतियों से वादी का सही नाम महिलाल ना लिख कर मिट्टी लाल दर्ज कर दिया है, इसी प्रकार आगे चलकर गलति होती चली गई।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 मे दर्ज किया है कि वादी का नाम आधार कार्ड में महिलाल पुत्र मांगी, तथा परिवार राशन कार्ड में महिलाल तथा जन आधार कार्ड में महिलाल है। जिसे संशोधान किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 मे दर्ज किया है कि वादी प्रार्थी का सही नाम महिलाल पुत्र मांगी है, तथा राजस्व रिकार्ड में हुयी सहव़न से गलती मिट्टी लाल के स्थान पर महिलाल दर्ज किया जाना आवश्यक एवम न्याय संगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 मे दर्ज किया है कि प्रार्थी को अब आवश्यक कार्य हेतु राजस्व रिकार्ड से जमाबंन्दी की प्रतिलिपी निकलवायी तो उक्त गलती का पता चला। इसके बाद प्रार्थी दिनांक 13.07.2023 को तहसीलदारजी हिण्डौन के यहॉ प्रार्थी गया तो तहसीलदारजी से उक्त संशोधन का निवेदन किया तो तहसीलदार ने सक्षम अदालत से आदेश लेकर आने को कहा। इस कारण यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 मे दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र माननीय आदालत हाजा को प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 मे दर्ज किया है कि प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान कास्तकारी अधिनियमों के तहत पेश किया जा रहा है, जिस पर उचित कोर्ट फीस 1 रूपया होती है जो अदा की गयी है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के राजस्व रिकॉर्ड खाता संख्या नया 1842 तथा खाता संख्या नया 1832 में प्रार्थी का नाम जो कि सहवन से मिट्टी लाल दर्ज हो गया है उसे दुरूस्त करते हुये प्रार्थी का नाम महिलाल पुत्र मांगी दर्ज करते हुये संशोधन करने की कृपा करें तथा आदेश दिये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने के उपरान्त भी इस न्यायालय के 3145 दिनांक 25.08.2023, 756 दिनांक 23.02.2024, 5913 दिनांक 18.09.2024, से जबाव पेश करने हेतु

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

लिखे जाने के उपरान्त भी जबाव पेश नहीं किया गया। इसलिए दिनांक 30.10.2025 को अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल नामान्तकरण सं0 2486 दिनांक 20.07.1979, नकल खसरा परिवर्तनशील सं0 2051, नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 किता 2, फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 709620185675 महिलाल पुत्र मांगी निवासी खोखलियॉ का पुरा हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली, फोटो प्रति राशन बार कोड सं0114802600220 महिलाल पुत्र मांगीलाल निवासी खोखलियॉ का पुरा हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली, जन आधार कार्ड सं0 45285852027 कारबाई पत्नि महिलाल निवासी वार्ड नं0 26 हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली, फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र क्रमांक RJ/11/086/411682 महिलाल पुत्र मांगी निवासी खोखलियान का पुरा वार्ड नं0 10 हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली, श्रीमती शकुन्तलादेवी पार्षद वार्ड नं0 23 नगर परिषद हिण्डौन जिला करौली के द्वारा जारी प्रमाण पत्र असल पेश किये हैं।

वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल नामान्तकरण सं0 2486 दिनांक 20.07.1979 मांगी व कल्लन के फौत होने पर उनकी विरासत का नामान्तकरण मांगी के स्थान पर हरि, रामेश्वर, श्रीफूल, मिहीलाल पि0 मांगी हि01/3, कल्लन की विरासत मु0 साबूतीबेबा कल्लनप हि0 1/3 जाति चमार के नाम भरकर तस्दीक किया गया है।

नकल खसरा परिवर्तनशील सं0 2051 में खसरा नम्बर 9279 रकबा 0.34 है0 में कृषक के कॉलम में हरि रामेश्वर श्रीफूल महिलाल पि0 मांगी का नाम तथा नोट पत्रावली सं0 32/89 दिनांक 04.01.89 से प्रभाती के स्थान पर हरि आदि का नाम खसरा नम्बर 9279, 9282 पर दर्ज किया अंकित है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 4545 रकबा 0.27 है0, 4546 रकबा 0.26 है0, 4547 रकबा 0.25 है0, 9240 रकबा 0.30 है0, 9241 रकबा 0.30 है0, 9255 रकबा 0.70 है0, 9256 रकबा 0.61 है0, 9257 रकबा 0.72 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 3.41 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी मिट्टीलाल पुत्र मांगी हि0 1/12 जाति जाटव सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य खातेदार मुताविक जमाबन्दी दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 9279 रकबा 0.34 है0, 9282 रकबा 0.49 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.83 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी मिट्टीलाल पुत्र मांगीलाल हि0 1/4 जाति जाटव सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य खातेदार मुताविक जमाबन्दी दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 709620185675 महिलाल पुत्र मांगी निवासी खोखलियॉ का पुरा हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति राशन बार कोड सं0114802600220 महिलाल पुत्र मांगीलाल नवासी खोखलियॉ का पुरा हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

जन आधार कार्ड सं0 45285852027 कारबाई पत्नि महिलाल निवासी वार्ड नं0 26 हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र कमांक RJ/11/086/411682 महिलाल पुत्र मांगी निवासी खोखलियान का पुरा वार्ड नं0 10 हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

श्रीमती शकुन्तलादेवी पार्षद वार्ड नं0 23 नगर परिषद हिण्डौन जिला करौली के द्वारा जारी असल प्रमाण पत्र में अंकित किया है कि प्रमाणित किया जाता है कि महीलाल पुत्र मांगी जाति जाटव निवासी खोखलिया का पुरा वार्ड नं0 23 हिण्डौन जिला करौली के रहने वाले हैं, जिनका जन्म से ही महीलाल के नाम से ही जाना जाता है तथा इनके पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद जमीन के नामान्तकरण में अशुद्धि के कारण महीलाल की जगह मिट्टीलाल हो गया है, इसलिए इनका शुद्धिकरण करके महीलाल शुद्ध नाम किया जावे। मैं इनको भली भॉति जानती हूॅ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम महिलाल पुत्र मांगी है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मिट्टीलाल पुत्र मांगी, मिट्टीलाल पुत्र मांगी दर्ज हो गया है। जिसकी प्रार्थी दुरूस्ती कराने का अधिकारी साबित है। ऐसे हालात में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 4545 रकबा 0.27 है0, 4546 रकबा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

0.26 है0, 4547 रकबा 0.25 है0, 9240 रकबा 0.30 है0, 9241 रकबा 0.30 है0, 9255 रकबा 0.70 है0, 9256 रकबा 0.61 है0, 9257 रकबा 0.72 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 3.41 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में खातेदार मिट्‌टीलाल पुत्र मांगी हि0 1/12 के स्थान पर महिलाल पुत्र मांगी हि0 1/12 तथा खसरा नम्बर 9279 रकबा 0.34 है0, 9282 रकबा 0.49 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.83 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में खातेदार मिट्‌टीलाल पुत्र मांगीलाल हि0 1/4 के स्थान पर महिलाल पुत्र मांगी हि0 1/4 राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करने के आदेश दिये हैं। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करते हुए अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 10/11/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली